HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 1494/2026

Tilak Jat S/o Shri Ramgopal @ Gopal, Aged About 21 Years, R/o Dhakpuri Police Station Malakhera, District Alwar (Rajasthan). (Accused Petitioner At Present Confined In Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dushyant Singh Naruka, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना–**मालाखेडा, अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**342/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 307 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रथम जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति के पश्चात नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था, अब बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त के विरूद्ध चार आपराधिक प्रकरण पूर्व से संस्थित हैं, परन्तु वर्तमान मामले में उसके विरूद्ध यह आरोप है कि उसने, परिवादी से कार खरीदने की प्रवंचना कर 3,88,000/– रूपये लूट कारित की। अभियुक्त दिनांक 16.10.2025 से अभिरक्षा में है। पूर्व में प्रथम जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति के पश्चात नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था, अब बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है,

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **तिलक जाट पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /3